

2021/617

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना

प्रार्थी:- अब्दुल अजीज पुत्र मुंशी जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- मुंशी पुत्र धीगड़ खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील-डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान वगैरह।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या.192 सन्-.....2021..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
14.12.2021	<p>प्रार्थी अब्दुल अजीज पुत्र मुंशी जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण मुंशी पुत्र धीगड़ खां जाति देशवाली निवासी खुनखुना स्टेशन तहसील-डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान वगैरह के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन के खसरा सं० 419 में मौका व राजस्व रेकर्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी पक्ष सी०पी०सी० की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 03.02.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>3/1/22 पत्रावली पेश हुई। वार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिलाव दिनांक 19/1/22 को पेश हो।</p> <p>24/1/22 अन्तर्गत राजस्व खां की राजस्व से वकील जी शरीफ शीकरी ने नजदीक मरीफ जेवरी का अर्थात् पत्र जेवरी, विका नवकरी वकील अर्थात् इकिनाव अर्थात् पत्रावली 9/1/22 को पेश कर 520 दिनांक 3/1/22 को पेश की</p>	



23/11/22

बहुलाय उपाय
पत्रावली वास्तु न्याय व सहायक कलेक्टर
के दिनांक 16/11/22 को पेश है।

सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)

16/12/22 पत्रावली पेश हुई। वर को भी उपलब्धी
कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 19/12/22
को पेश हो।

19/12/22

बहुलाय उपाय
इसी प्रकार का सब काद निर्दिष्ट है
युक्त है। काद निर्दिष्ट होने से इस
जायगी पत्र का कोई कार्य नहीं
करा जा रहा है। अतः जायगी पत्र
स्वादिन विना जा रहा है। पत्रावली में सब
सुका है। दायिम दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
डोडवाना (नागौर)